



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 244] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 21, 1982/श्रावण 30, 1904
No. 244] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 21, 1982/SRAVANA 30, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1982

सा. का. नि. 532(अ) :—केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत-पत्र (पंचम निर्गम) नियम, 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत-पत्र (पंचम निर्गम) संशोधन नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय बचत-पत्र (पंचम निर्गम) नियम, 1973 के नियम 10 के उप-नियम (1) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु जहाँ केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी पत्र का ऐसा क्रय या अर्जन उसके धारक की किसी सम्भावित सलती के कारण हुआ है वहाँ वह पत्र को अंकित मूल्य पर उगी दर से साधारण व्याज का सुदाय प्राधिकृत कर सकती है जो तत्समय प्रवृत्त उस प्रकार से बचत खातों के लिए अनुज्ञेय है जिन्हें ऐसा धारक डाकघर बचत खाता नियम, 1981 के उपबन्धों के अधीन खोलने का हकदार है” ।

[फ. सं. 7/1/82-एन. एम.]

ए. सी. तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 1982

G.S.R. 532(E)—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (V Issue) Rules, 1973, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Savings Certificates (V Issue) Amendment Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In rule 10 of the National Savings Certificates (V Issue) Rules, 1973, to sub-rule (1), the following proviso shall be added, namely :—

“Provided that where the Central Government is satisfied that such purchase or acquisition of a certificate is due to a bona fide error on the part of the holder thereof, it may authorise payment of simple interest on the face value of the certificate at the same rate as is admissible for the time being in force for the type of savings accounts which such holder is entitled to open under the provisions of the Post Office Savings Account Rules, 1981”.

[F. No. 7/1/82-NS]

A. C. TIWARI, Jt. Secy.